



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या— 272
08/04/2020

मुख्यमंत्री, मंत्रियों एवं बिहार विधान मंडल के सदस्यों के वेतन का 15 प्रतिशत अगले एक वर्ष तक कटौती करने एवं उक्त राशि को “कोरोना उन्मूलन कोष” में देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर

- बिहार कराधान विवाद समाधान नियमावली, 2020 का तीन माह हेतु अवधि विस्तार करने का निर्णय लिया गया।
- कक्षा-01 से 11 (वर्ग 10 को छोड़कर) सत्र 2019-20 में बिना वार्षिक परीक्षा के छात्र-छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति।
- सीतामढ़ी को नगर निगम घोषित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

पटना-08 अप्रैल, 2020 :- आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रधान सचिव, डॉ० दीपक प्रसाद ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 28 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इनमें कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, राज्य के माननीय मंत्रियों एवं विधान मंडल के माननीय सदस्यों के वेतन का 15 प्रतिशत अगले एक वर्ष तक कटौती करने एवं उक्त राशि को “कोरोना उन्मूलन कोष” में देने का प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। विदित हो कि बिहार सरकार में मुख्यमंत्री, मंत्री का वेतन 40 हजार रुपये प्रतिमाह ही है, इसके कारण 15 प्रतिशत राशि कटौती करने का ही निर्णय लिया गया।

बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2019 एवं बिहार कराधान विवाद समाधान नियमावली, 2020 का तीन माह हेतु अवधि विस्तार करने का निर्णय लिया गया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए “मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना” अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली सस्ती की गयी। विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई सब्सिडी की राशि के लिए कुल 5494.00 (पाँच हजार चार सौ चौरानवे करोड़) रुपये सब्सिडी स्वीकृत करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 के माह अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 की अवधि के लिये 457.83 करोड़ (चार सौ संतावन करोड़ तिरासी लाख) रुपये प्रतिमाह की दर से कुल 5494.00 (पाँच हजार चार सौ चौरानवे करोड़) रुपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन.टी.पी.सी. को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम के लिए विद्यालयों को बंद किए जाने फलस्वरूप छात्रहित में वर्ग 1 से 11 तक (वर्ग 10 को छोड़कर) के सभी छात्र-छात्राओं को बिना वार्षिक परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नति पर मुहर लगी।

सीतामढ़ी जिलान्तर्गत नगर परिषद्, सीतामढ़ी, नगर पंचायत, डुमरा नगर पंचायत एवं निकटवर्ती 17 मौजों के क्षेत्रों को मिलाकर नगर निगम सीतामढ़ी घोषित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड, पटना मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्य हेतु 78 विभिन्न पदों के पुनर्गठन एवं पद सृजन के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अन्तर्गत "बिहार अधीनस्थ खेल एवं युवा लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2020" की स्वीकृति, कारा प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं विभागीय कार्यों के ससमय निष्पादन हेतु कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव-सह-उप निदेशक (प्रशासन) स्तर के दो अतिरिक्त पदों की स्वीकृति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (जिला न्यायाधीश प्रवेश बिन्दु) के 09 (नौ) पदों के सृजन की स्वीकृति भी मंत्रिपरिषद् द्वारा दी गई।

पूर्णिमाँ जिलान्तर्गत पूर्णिमाँ पूर्व अंचल के मौजा- हॉसदा, थाना नं०-240, खाता नं०-126 के विभिन्न खेसरा की कुल रकबा-04हे० 04 ए० 90प्वां अर्थात् 10 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-1) अनावार बिहार सरकार, राजस्व विभाग की भूमि किस्म खाली ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (Land Fill site) हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण करने के प्रस्ताव, मधुबनी जिलान्तर्गत विस्फी अंचल के मौजा-सिमरी, थाना नं०-245, खाता सं०-1701, खेसरा सं०-6556, रकबा-1.08 एकड़ किस्म धनहर भूमि अभिधारी बुनियादी विद्यालय, सिमरी, (बिहार सरकार) की भूमि 8900 रु० प्रति डिसमिल की दर से 9,61,200 (नौ लाख इकसठ हजार दो सौ) रु० सलामी एवं सलामी के पांच प्रतिशत का पच्चीस गुणा अर्थात् 12,01,500 (बारह लाख एक हजार पांच सौ) रु० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल-21,62,700 (इक्कीस लाख बासठ हजार सात सौ) रु० के भुगतान पर विद्युत शक्ति उपकेन्द्र निर्माण हेतु नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण के प्रस्ताव, पटना जिलान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-83 (पटना-गया-डोभी) के तहत पुनपुन अंचल के मौजों क्रमशः-1, पकड़ी, थाना नं०-59, 2. धरहारा, थाना नं०-41, 3. बाकरपुर, थाना नं०-35, 4. पोठही, थाना नं०-42, 5. मनोरह, थाना नं०-57, 6. डुमरी, थाना नं०-34 एवं 7. बसुहार, थाना नं०-39, कुल रकबा- 6. 802663 एकड़ गैरमजरूआ आम भूमि (संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार) "यथास्थिति" में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के प्रस्ताव तथा भागलपुर जिलान्तर्गत अंचल-सुल्तानगंज के मौजा- नगर परिषद् सुल्तानगंज, वार्ड नं०-03, खाता सं०- 340, खेसरा-1 का अंश, 2 का अंश एवं 3 का अंश का क्रमशः रकबा-21.862 डिसमिल, 45.75 डिसमिल, 8 एकड़ 22.265 डिसमिल, कुल रकबा-8 एकड़ 89.877 डिसमिल किस्म अनावार बिहार सरकार, सुल्तानगंज- अगुवानी घाट के बीच गंगा पुल संपर्क पथ निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग को निःशुल्क भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव पर सहमति दी गई।

गंडक नदी का वाल्मीकिनगर (बिहार-नेपाल सीमा) से सोनपुर (गंगा नदी के मिलान स्थल) तक 225.00 कि०मी० की लम्बाई में सर्वेक्षण कार्य योजना, प्राक्कलित राशि ₹115.62

लाख रुपये (एक करोड़ पंद्रह लाख बासठ हजार रुपये मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

बक्सर जिला के अंतर्गत अत्यधिक आर्सेनिक से प्रभावित सिमरी बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु 112.57 करोड़ रुपये की राशि पर पूर्व में स्वीकृत योजना का पुनरीक्षण कर 168.03 करोड़ रुपये (एक सौ अड़सठ करोड़ तीन लाख रुपये) मात्र की राशि पर पुनरीक्षित योजना के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

“दरभंगा जिलान्तर्गत हायाघाट प्रखंड के सिरनिया- बिलासपुर पथ में बागमती नदी पर 19x24.75 मी० आकार का पुल निर्माण कार्य जिसकी कुल प्राक्कलित राशि 6917.00 लाख रु० (उनहत्तर करोड़ सतरह लाख रु० मात्र) है, की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु बगहा (पं० चम्पारण), भोरे (गया), दाउदनगर (औरंगाबाद), बाराचट्टी (गया), बरारी (भागलपुर) में नये 2x50 एम०भी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशन, नवीनगर (औरंगाबाद) में 3x50 एम०भी०ए०, 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशन एवं इससे संबंधित संचरण लाईन के निर्माण की 703.16 करोड़ (सात सौ तीन करोड़ सोलह लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 20% अर्थात् 140.632 करोड़ (एक सौ चालीस करोड़ तीरेसठ लाख बीस हजार) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 562.528 करोड़ (पाँच सौ बासठ करोड़ बावन लाख अस्सी हजार) रुपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) एवं ऑनलाईन राजस्व प्राप्ति प्रणाली (o-GRAS) लागू होने के उपरांत कोषागारों का पुनर्गठन प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना हेतु वाहन चालक के 10 (दस) पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

Sec.LAN 2.0 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कुल प्राक्कलित राशि ₹52,26,00,000.00 (बावन करोड़ छब्बीस लाख) मात्र की स्वीकृति के विरुद्ध पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि ₹66,18,00,000.00 (छियासठ करोड़ अठारह लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय, जो 350 करोड़ रुपये है, को 30 मार्च, 2021 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 8470.45 करोड़ (आठ हजार चार सौ सत्तर करोड़ पैतालीस लाख) रुपये करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा 21,188.42 करोड़ रुपये बाजार ऋण सहित कुल 26,419.00 करोड़ रुपये के ऋण उगाही की स्वीकृति के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

डा० हरिशंकर प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, कटैया, गोपालगंज, सेवा से बर्खास्त, सम्प्रति सेवानिवृत्त, के बर्खास्तगी आदेश संकल्प सं० 196(9) दिनांक 23.02.2006 को निरस्त करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

कृषि विभाग के अन्तर्गत श्री निरंजन कुमार (बिहार कृषि सेवा कोटि-7 (उद्यान) वर्ग-2) तत्कालीन जिला उद्यान पदाधिकारी, दरभंगा सम्प्रति सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर के विरुद्ध बर्खास्तगी का दण्ड संबंधी निर्गत अधिसूचना संख्या 26 दिनांक 30.01.2013 को, सी०डब्लू०जे०सी० सं०- 5646/2013 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा

पारित न्यायादेश के आलोक में, विभागीय आदेश संख्या 338 दिनांक 30.05.2018 द्वारा निरस्त करने के उपरांत "भविष्य में सदा के लिए प्रोन्नति की रोक" संबंधी दण्ड की स्वीकृति, श्री नरेश नाथ (बिहार कृषि सेवा कोटि-1 (शष्य) वर्ग-1) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पतरघट, सहरसा सम्प्रति बर्खास्त के विरुद्ध "सरकारी सेवा से बर्खास्तगी" संबंधी अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध सी०डब्लू०जे०सी०सं०-17482/2008 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 872 दिनांक 18.11.2008 को निरस्त करने के उपरांत श्री नाथ के विरुद्ध उनके "पेंशन से 50% (पचास प्रतिशत) राशि कटौती" संबंधी दण्ड की स्वीकृति के प्रस्ताव पर सहमति दी गई।

चारा घोटाला से संबंधित अपराधिक कांड संख्या आर०सी० 45 (ए)/96 में माननीय सी०बी०आई० न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 18.04.2018 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में सजायापता बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पशु चिकित्सक डॉ० पिताम्बर झा, तदेन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलंत), देवघर को सरकारी सेवा से बर्खास्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।

श्री कृष्ण कुमार यादव, संविदा पर नियोजित, अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-10000, दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3(3) (क)(v) एवं संकल्प संख्या 3978, दिनांक-23.03.2018 की कंडिका-5 के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक-05.02.2020 की बैठक की कार्यवाही के क्रमांक-20 की अनुशंसा के आलोक में राजकीय अतिथिशाला के अधीक्षक के पद पर संविदा अवधि 65 वर्ष की आयु से 67 वर्ष की आयु तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।

प्रस्तावित "समाहरणालय भवन, पटना" के लिए चयनित परामर्शी के शुल्क भुगतान की स्वीकृति दी गई।
